कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 839 / 2023 / 10–11 / 3824   भोपाल, दिनांक 23/08/2023

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़,
नई दिल्ली–110003

विषयः– वन मंडल दक्षिण शहडोल के विभिन्न खसरों के रकबा 15.549 हे. राजस्व वनभूमि एवं वन मंडल उमरिया के वन कक्ष RF-227 & PF-779 के रकबा 46.488 हे. वनभूमि तथा विभिन्न खसरो की रकबा 18.553 हे. राजस्व वनभूमि कुल 80.59 हे. वनभूमि में शाहपुर पश्चिम कोल ब्लॉक अन्तर्गत भूमिगत कोयला उत्खनन तथा उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन का–सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का प्रस्ताव।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-10/2023-FC दिनांक 17 / 04 / 2023

–0–

विषयांकित परियोजना के संबंध में आपके द्वारा संदर्भित पत्र क्र. / 8-10/2023-FC दिनांक 17 / 04 / 2023से 19 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण शहडोल एवं उमरिया तथा सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड से प्राप्त हुई है। अतः प्राप्त जानकारी अनुसार बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
i	As per the component wise breakup submitted in the proposal an area of 5.531 ha forest land has been proposed to utilized for setting up of Infrastructure which is a non-site specific activity. Therefore, the State Govt. shall explore the possibility of shifting the infrastructure activity on the nearby Non-forest land.	आवेदक संस्था ने वनक्षेत्र में प्रस्तावित सभी संरचनाओं का स्थल परिवर्तित करते हुये इन्हें गैर वनभूमि पर प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव में केवल सड़क निर्माण हेतु 0.895 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है जो आवश्यक है।
ii	The Mining plan was prepared in the year 2012. Therefore, the State Govt. shall examine and justify the relevance of same after a period of 10 years and a duly approved Mining plan along with Progressive mine reclamation/ closure plan shall be submitted accordingly.	आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि कोल मंत्रालय द्वारा पत्र दिनांक 21.04.2022 से 619 हेक्टेयर का माईनिंग प्लान स्वीकृत किया है जिसे पोर्टल पर बिन्दु क्रमांक M-2 iii पर अपलोड कर दिया गया है।
iii	The total Mining lease area has been reported as 619 ha in online Part-I whereas the same is mentioned in the mining plan as 587.50 ha. Therefore, this discrepancy in the mine lease area needs to be addressed.	

–2–

iv	Nallah/River tributary is flowing through the mining lease area. In this regard the detail of the proposed mitigation measures and impact of the project on the hydrological regime in the area shall be submitted	आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित वनक्षेत्र से जो नाले बह रहे हैं वह केवल मानसून सीजन में ही बहते हैं। आवेदक संस्था ने यह भी अवगत कराया है कि यह खदान भूमिगत खदान है तथा इस खदान के माईनिंग प्लान में इस नाले के नीचे दोनों तरफ 30 मीटर तक किसी प्रकार का खनन का प्रस्ताव नहीं है। आवेदक ने यह भी अवगत कराया है कि इस खनन से नाले में बहने वाले पानी की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा। आवेदक संस्था द्वारा इस संबंध में किये गये टेस्टो का विवरण परिशिष्ट–2 में दिया गया है।
v	The KML files indicating the different components of the projects shall be submitted conspicuously depicting the various projects components vis-à-vis including the components proposed to be undertaken on the Non-forest land.	आवेदक संस्था द्वारा अब केवल सड़क के लिये 0.895 हेक्टेयर वनभूमि चाही गई है जिसकी KML फाईल प्रस्ताव के भाग–1 में अपलोड है। इसके अतिरिक्त इस खदान के संचालन के लिये जो आवश्यक संरचनाऐं माईनिंग लीज में सम्मिलित राजस्व क्षेत्र में निर्मित की जाना है, उनकी KML फाईल प्रस्ताव के भाग–1 में अपलोड है।
vi	Details of coal evacuation plan and involvement of forest land, if any, shall be intimated.	आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि इस खदान के निकट ही विचारपुर कोल ब्लॉक है जहॉं कोयला परिवहन के लिये पूर्व से ही सड़क निर्मित है। प्रस्ताव में इस खदान से कोयला निकालने की KML फाईल प्रस्ताव के भाग–1 के उमरिया जिले के भाग के बिन्दु c(ii) a में अनुक्रमांक–3 पर 0 हेक्टेयर पर अपलोड है।
vii	As per online details, the instant project is located in the Scheduled Area. Therefore, clarification/ comments in this regard shall be submitted.	आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि आवेदित वनक्षेत्र में उमरिया एवं शहडोल के कुल 05 ग्राम आते हैं। इन सभी 05 गांवों में वनाधिकार अधिनियम के तहत सहमति प्राप्त हो चुकी है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख संलग्न है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र औपचारिक स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है।

viii	User agency has given 82.677 ha Non-forest land (NFL) for CA against surface utilization of 7.136 ha forest land which is substantially more than the actual requirement. Therefore, a clarification in this regard needs submission. Moreover, the ownership and details of the revenue records regarding NFL should also be provided.	प्रस्ताव भूमिगत खदान का है। अतः क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये गैर वनभूमि दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में आवेदक संस्था द्वारा सतही उपयोग के लिये 7.136 हेक्टेयर वनभूमि चाही थी। आवेदक संस्था ने इसे कम कर केवल सड़क निर्माण के लिये 0.895 हेक्टेयर कर दिया है। आवेदित वनभूमि का सतही उपयोग मात्र 0.895 हेक्टेयर है जो 01 हेक्टेयर से क्रम है। अतः अब प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये समतुल्य गैर वनभूमि दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।
ix	The actual number of trees marked to be felled for surface utilization of 7.136 ha forest land has not been submitted, which shall be provided.	प्रस्ताव में आवेदक संस्था द्वारा सड़क निर्माण के लिये 0.895 हेक्टेयर वनभूमि चाही है। इस 0.895 हेक्टेयर वनभूमि पर 547 वृक्ष खड़े हैं। अतः भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार 10 गुना पौधें अर्थात 5470 पौधें रोपित करने की राशि आवेदक से प्राप्त की जाना है। वनमण्डलाधिकारी, उमरिया ने क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु कक्ष क्रमांक 228 में 6.4 हेक्टेयर बिगड़े वनों की भूमि का चयन कर 5500 पौधें रोपित करने की योजना तैयार की है जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक, शहडोल द्वारा पत्र दिनांक 04.08.2023 से जारी की गई है। योजना की प्रति ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड है।
x	As per the proof of ownership submitted by the State Govt., the Non-forest land proposed for Compensatory Afforestation is not free from all encumbrances and the some areas are mortgaged to banks. Therefore, the State Govt. shall ensure that the land proposed for CA is free from all encumbrances.	प्रस्ताव में सतही उपयोग का रकबा 1 हेक्टेयर से कम होने के कारण अब प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये गैर वनीभूमि की आवश्यकता नहीं है।
xi	The Site suitability certificates from the DCF concerned, certifying the suitability of nonforest land for raising CA, shall be submitted and uploaded online along with complete CA scheme.	प्रस्ताव में गैर वनभूमि की आवश्यकता न होने के कारण इसका उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

xii	The CCF, Shahdol in his Site Inspection report has mentioned the presence of Leopard along with reptile's and other schedule animals in the forest land proposed for diversion. Therefore, the comment of Chief Wildlife Warden in this regard needs submission.	इन बिन्दुओं पर अभिमत प्राप्त करने के लिये नस्ती प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) को भेजी गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत अभी अप्राप्त है। प्रस्ताव भूमिगत खदान का है तथा वन्यप्राणी क्षेत्रों से बाहर का है। प्रस्ताव में संरक्षित क्षेत्र या ईको सेसेटिव जोन प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा जो भी सुझाव दिये जायेंगे, उनके अनुसार औपचारिक स्वीकृति के पूर्व आवेदक का इन्हें स्वीकार करने का वचन पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार भी यदि वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो पाती है तो औपचारिक स्वीकृति परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि जमा कर प्राप्त की जा सकती है। अतः प्रकरण में वन्यप्राणी अभिमत तथा आवश्यक राशि, यदि कोई देय होती है, को औपचारिक स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
xiii	As per DSS analysis, the proposed forest land for diversion is located at a distance of 2.98 Km from the Achanakmar-Bhandhavgarh Tiger Corridor. Therefore, the comment of Chief Wildlife Warden in this regard needs submission.	
xiv	As per DSS analysis (copy enclosed), a protected forest (PF) patch i.e. Compt No. 780, Block: Kathoutiya, Shahdol Range located on the south-eastern corner of the Mining lease has not been included in the instant diversion proposal. This needs clarification.	इस बिन्दु के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण शहडोल का पत्र दिनांक 20.07.2023 संलग्न है। वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण शहडोल ने अवगत कराया है कि कक्ष क्रमांक 780 की सीमा लाईन आवेदित क्षेत्र में नहीं आती है। इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण शहडोल द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र की प्रति संलग्न है।
xv	Satellite imagery shows the presence of Road, settlements, Nallah, etc. within the proposed forest land for diversion. The same needs clarification.	इस बिन्दु पर वनमण्डलाधिकारी, उमरिया ने अवगत कराया है कि पत्र दिनांक 07.06.2019 से ग्रामीण विकास प्राधिकरण को मार्ग उन्नयन की अनुमति दी गई है, जिसकी प्रति संलग्न है। प्रस्ताव में आवेदित वनक्षेत्र में दिखाई दे रहे निर्माण के संबंध में लेख है कि यह निर्माण राजस्व वनभूमि पर है। यह खनन भूमिगत है। अतः इस खनन के कारण इन निर्माणों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही आवेदक संस्था ने यह भी अवगत कराया है कि माईनिंग प्लान में इन निर्माण स्थल के नीचे किसी प्रकार का खनन प्रस्तावित नहीं किया गया है।

–5–

xvi	Satellite imagery shows that plantation work has been carried out in the PF-779 proposed for diversion. The State Govt shall ensure that the area has not been used for raising Compensatory Afforestation in the past. The details of the plantation shall also be provided.	इस बिन्दु पर वनमण्डलाधिकारी, उमरिया ने अवगत कराया है कि इस क्षेत्र में वर्ष 2006—07 में नीलगिरी रोपण तथा वर्ष 2010 में बांस रोपण किया गया है। यह खदान भूमिगत खदान है। अतः इस खदान के प्रारम्भ होने पर इन वृक्षारोपणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
xvii	Satellite imagery shows that a metalled/pucca Road has been constructed recently during the year 2019 in RF-227 which is proposed for diversion. The copies of approval under the FCA, 1980 for the same needs submission.	इस बिन्दु पर वनमण्डलाधिकारी, उमरिया ने अवगत कराया है कि पत्र दिनांक 07.06.2019 से ग्रामीण विकास प्राधिकरण को मार्ग उन्नयन की अनुमति दी गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
xviii	The DGPS Map of proposed CA land shall be uploaded on online portal.	प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये गैर वनभूमि की आवश्यकता न होने के कारण इस बिन्दु की जानकारी की आवश्यकता नहीं है।
xix	The rates of NPV mentioned in the CB analysis pertain to the Open Forest Category whereas the crown density of the proposed area has been reported as 0.4 in the proposal. The Cost Benefit analysis has to be submitted on the prescribed format keeping in view the revised rates of NPV and the density/Eco Class of the proposed area.	आवेदक संस्था द्वारा इसे पुनरीक्षित कर प्रस्ताव के भाग—1 में अपलोड कर दिया गया है।

अतः वन मंडलाधिकारी, दक्षिण शहडोल के पत्र क्रमांक 1762 दिनांक 20/07/2023, वनमण्डलाधिकारी, उमरिया के पत्र क्रमांक/1585 दिनांक 08/08/2023 तथा सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के पत्र क्रमांक/4555 दिनांक 30/06/2023 एवं आवश्यक अभिलेख आगामी कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

23/8/2023

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ—1/839/2023/10—11/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः—

1 मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त, शहडोल, मध्य प्रदेश ।
2 वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, दक्षिण शहडोल/उमरिया, मध्यप्रदेश।
3 मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, रायपुर (छत्तीसगढ़)

23/8/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल